

आयुक्त जोन.....
नगर निगम जयपुर

महोदय,

राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पट्टा हेतु आवेदन पत्र

सामान्य व्यक्ति हेतु 01.01.1965 से पूर्व तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों हेतु 01.01.1985 से पूर्व नजूल लैण्ड/नगर निगम के नाम भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण होने पर 300 वर्ग मीटर तक भूमि के पट्टे हेतु आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति को हो तो प्रमाण पत्र सलंगन करें)
3. आयुः—.....
4. प्रार्थी का पता.....
स्थाई पता.....
वर्तमान पता.....
5. जिस स्थान पर कब्जा है उसका विवरण :—
 - (1) सर्व प्रथम कब्जा करने वाले का नाम.....
 - (2) कब्जा करने का वर्ष.....
 - (3) कब्जा का स्वरूप.....
 - (4) कब्जा की किस्म.....
 - (5) कब्जा की गई भूमि.....
 - (6) निर्मित क्षेत्र की नाप.....
(30 प्रतिशत भाग निर्मित होना आवश्यक)
 - (7) निर्माण की किस्म—कच्चा/पक्का.....
 - (8) सीमाओं का विवरण.....
पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....
6. कब्जे की भूमि का नक्शा (ब्लूप्रिन्ट की तीन प्रतियाँ) जिसमें समस्त विवरण दर्शायें व सड़क से दूरी भी दर्शायें। (निर्मित भवन का फोटोग्राफ सलंगन करें)
7. मैं उक्त भवन में अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. नाम.....	सम्बन्ध.....	आयु.....
2. नाम.....	सम्बन्ध.....	आयु.....
3. नाम.....	सम्बन्ध.....	आयु.....
4. नाम.....	सम्बन्ध.....	आयु.....

(राशन कार्ड की प्रति सलंगन करें)
8. कब्जाधारी की स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूमि या मकान नहीं है, यदि है तो :—..... के नाम से दर्ज है। (यदि मृत्यु हो चुकी है तो सम्बन्ध) यह मेरे..... थे।
इनका मृत्यु प्रमाण पत्र सलंगन कर रहा हूँ।
9. यदि मूल कब्जा धारी से प्राप्त किया है तो उसका विवरण.....

10. कब्जा स्कीम प्लान के अनुसार किस स्थान पर है विवरण.....
11. मेरे पड़ोस में निम्न व्यक्ति वर्ष.....निवास करते आ रहे हैं उनका विवरण
निम्न प्रकार है :-
- (1) नाम.....पिता का नाम.....
पता.....
विधान सभा सूची के वार्ड नं.....मकान नं.....भाग सं.....में
क्रमांकपर दर्ज है जिसकी प्रति सलांगन है।
- (2) नाम.....पिता का नाम.....
पता.....वर्ष.....की
विधान सभा सूची के वार्ड नं.....मकान नं.....भाग सं.....में
क्रमांकपर दर्ज है जिसकी प्रति सलांगन है।
12. 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि होतो किस भाग को नियमित किया जाना है, किसी भाग को छोड़ना है, उसका विवरण (नक्शे में भी दर्शायें).....
13. प्रार्थी अपने पक्ष में जो सबूत पेश करना चाहता है, उसका विवरण एवं प्रमाणित प्रतिलिपि:- सबूत मान्य है, राशन कार्ड, बिजली पानी का बिल, मतदाता सूची में नाम, डाक से प्राप्त पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, गृहकर एवं नगरीय विकास कर जमा की रसीद, नगर निगम रिकार्ड में अन्य कोई इँद्राज एवं अन्य कोई दस्तावेजी सबूत जो साबित कर सके कि प्रार्थी 01.01.1965 / 01.01.1985 से पूर्व से मकान बनाकर काबिज है एवं मोहल्ले के दो प्रमुख व्यक्तियों का शपथ पत्र (जिनकी उम्र साठ वर्ष से कम न हो)
14. जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 1981 /में किये गये सर्वे में मेरा नामक्रमांककार्ड
पर था जिसकी प्रति सलांगन कर रहा हूँ।

प्रमाणिकरण

मैं.....पुत्र श्री.....
आयु.....पता.....
जाति.....घोषित करता हूँ कि उपरान्त वर्णित भूमि में अथवा मेरा परिवार सन्.....से काबिज है तथा यह मेरे आवास के काम आ रहा है, तथा इस भूमि का मेरे अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जो उत्तराधिकारी है उनके हक्त्याग पत्र सलांगन कर दिए हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

प्रमाणित हस्ताक्षर

**क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र
(सादा पेपर पर)**

मे.....पुत्र/पुत्री श्री.....उम्र.....पता.....
.....नगर निगम जयपुर के पक्ष में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र द्वारा
वचनबद्ध करता हूँ कि

चूंकि नगर निगम के वार्ड संख्या.....में स्थित राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एकट 1961 के अन्तर्गत आवास संख्यानियमन पता.....के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और मैं उक्त वार्ड संख्या.....में भूखण्ड संख्या.....का दिनांक.....से पूर्व का कब्जाधारी हूँ। इस कारण उक्त हैसियत से मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ की जयपुर नगर निगम जयपुर द्वारा नियमन की जाने वाली कार्यवाही के परिणामस्वरूप मेरे द्वारा नियमन हेतु उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज, गवाही, बयान गलत पाये जाने अथवा पूर्व में मेरे द्वारा किसी अन्य योजना में पट्टा प्राप्त करने अथवा सम्बन्धित भूखण्ड का किसी अन्य व्यक्ति/कम्पनी/समिति को बेचान अथवा किसी कानूनी विवाद को लेकर यदि कोई सूचना भविष्य में नगर निगम जयपुर को किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है तो मुझे जारी किये जा रहे पट्टा विलेख को नगर निगम जयपुर निरस्त कर सकेगा तथा किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो नगर निगम जयपुर द्वारा प्रचलित नियमों, अथवा नियमों के अभाव में भी मेरे उक्त भूखण्ड को निरस्त कर/कब्जे में लेकर नीलामी की जाकर अथवा मेरी अन्य चल/अचल सम्पत्ति से वसूल की जा सकेगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र मैंने वार्ड संख्या.....के भूखण्ड संख्या.....के स्वामित्वधारक एवं कब्जाधारी या भूखण्ड के स्वामी की हैसियत से निष्पादन व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करवा दिया है जो कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए।

स्थल :

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम/कब्जाधारी.....
पिता/पति का नाम.....
वार्ड संख्या.....
भूखण्ड संख्या.....
भूखण्ड का पता.....

1. हस्ताक्षर

नाम व सम्पूर्ण पता.....
व्यवसाय.....

2. हस्ताक्षर

नाम व सम्पूर्ण पता.....
व्यवसाय.....

(स्वयं द्वारा सत्यापित)

मोहल्ले के 2 प्रमुख व्यक्तियों द्वारा प्रमाणिकरण का प्रारूप

(10 रूपये का पेपर मय नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति.....आयु.....वर्षों
 पता.....मैं इस स्थान पर.....पुत्र
 से रह रहा हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....पुत्र
 श्री.....पता.....रस्थान
 पर.....वर्षों से रह रहा है, मैं इन्हें.....वर्षों से निजी रूप से जानता
 हूँ प्रार्थना पत्र में जो इन्होने ब्यौरा दिया है, वह सही है।

गवाहः—

1.

2.

दिनांक :

स्थान :

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर व पता

प्रार्थी का शपथ पत्र का प्रारूप

(10 रूपये का पेपर मय नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति.....आयु.....एतद् द्वारा शपथ लेकर
 निवासी.....धोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में जो तथ्य अंकित है वे सही है, उल्लेखित भूखण्ड का
 मैं एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ/उत्तराधिकारी का हक त्याग पत्र सलांगन कर रहा हूँ। इसमें
 दिये तथ्यों में कोई भाग छिपाया नहीं गया है ना ही कोई तथ्य मिथ्या है। ईश्वर मेरी
 मदद करे।

गवाहः—

1.

2.

दिनांक :

स्थान :

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर व पता

रसीद

श्री.....पुत्र श्री.....पता.....जाति.....द्वारा
 प्रस्तुत आवेदन पत्र राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1961 के पट्टे हेतु प्राप्त हुआ
 जो रजिस्टर के क्रमांक.....दिनांक.....पर दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

जोन.....

नगर निगम जयपुर